110

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 5172–दो/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10 मार्च, 2016– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 619/15–16 अपील

1– श्रीमती उषा देवी पत्नि रजनीशकुमार गुप्ता
निवासी गुढ़ रोड अमिरती जिला रीवा
2– श्रीमती लाला गुप्ता पत्नि कन्हैयालाल गुप्ता
ग्राम डीहा मनगवां तहसील मनगवां जिला रीवा
3– राजेन्द्र गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल
ग्राम डीहा मनगवां तहसील मनगवां
4– रजनीश गुप्ता पुत्रगण कन्हैयालाल
निवासी गुढ रोड अमिरती रीवा ——आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रामप्यारी पत्नि सुदर्शन प्रसाद जैसवालश
ग्राम डीहा मनगवां तहसील मनगवां जिला रीवा ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

;आज दिनांक24–10 –2017 को पारितद्ध

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 619/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–3–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार मनगवॉ को आवेदन देकर भूमि सर्वे नंबर 55/7 रकबा 0.24 एकड़ एंव भूमि सर्वे नंबर 55/8 रकबा 0.24 एकड़ के नक्शा तरमीम की प्रार्थना की। तहसीलदार मनगवॉ ने प्रकरण क्रमांक 7/अ–5/12–13 पॅजीबद्ध किया तथा आवेदकगण की

सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29-4-13 पारित किया तथा आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 3268-तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 3-3-2014 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार मनगवां को इस निर्देश के साथ वापिस किया कि प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा के वाद क्रमांक 23 ए/2004 में पारित निर्णय अनुसार भूमि सर्वे नंबर 55/7 एवं सर्वे नंबर 55/8 का नक्शा तरमीम करें। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 3-3-14 अनुसार कार्यवाही हेतु आवेदकगण ने तहसलदार मनगवां को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार ने मौके की जांच कराकर नक्शा सॅशोधन के प्रस्ताव दिनांक 5-11-14 अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के माध्यम से कलेक्टर रीवा को अग्रेषित किये।

कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 10 अ-74/2015-16 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 9-2-2016 पारित किया एंव निर्णीत किया कि न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 3-3-14 एंव 19-8-14 के विरूद्ध श्रीमती उषा देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 13776/2014 दायर की है जिसमें पारित आदेश दिनांक 8-1-2015 से राजस्व मण्डल का आदेश स्थगित किया गया है जिसके कारण प्रकरण अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 619/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-3-2016 से अपील ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त कर दी गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 10-3-2016 तथा कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 9-2-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान अनावेदक ने विवादित भूमियों के नक्शा दुरूस्ती

कार्यवाही पर आपत्ति की है। आपत्ति आवेदन पर कलेक्टर रीवा ने उभय पक्ष की सुनवाई करते हुये आदेश दिनॉक 8-2-16 पारित किया है तथा वाद विचारित भूमियों के नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही इस आधार पर रोकने का निर्णय लिया है कि :-

" आपत्तिकर्ता के आपत्ति पर विचार तथा प्रकरण का अवलोकन किया। तहसीलदार तहसील मनगवां के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 7 अ-5/2012-13 नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 29-4-13 को न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के निगरानी कमांक 3268-तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 3-3-2014 से निरस्त किया गया है। न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 3-3-14 एंव दिनांक 19-8-14 के विरूद्ध श्रीमती उषा देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 13776/2014 दायर किया। उक्त रिट पिटीसन में पारित आदेश दिनांक 8-1-15 द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर आदेश दिनांक 19-8-14 को स्थगित किया गया है। अतः उपरोक्त परीक्षण अनुसार प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रचलित होने से आपत्ति आवेदन स्वीकार किया जाता है और प्रकरण अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।"

कलेक्टर रीवा द्वारा उक्तानुसार लिया गया निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुकम में है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से जब तक पक्षकारों द्वारा दायर याचिका का निराकरण नहीं हो जाता है एंव स्थगन आदेश का प्रभाव है राजस्व न्यायालय वाद विचारित भूमि में फेर-फार करने हेतु सक्षम नहीं है जिसके कारण कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-2-2016 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 10-3-2016 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 619/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-3-2016 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर